प्रारूप – 1

नया एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु घोषणा-पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो

प्रति,

कलेक्टर,

.....

सर्वे क्रमांक –

1. मैं परिवार के मुखिया का नाम .....
   .....
   पुत्र / पत्नी श्री .....
2. वर्तमान पता–मकान नंबर ..... गली नं. .....
   मोहल्ला ..... वार्ड नं. .....
3. स्थायी पता–मकान नंबर ..... गली नं. .....
   मोहल्ला ..... वार्ड नं. .....
   इस नगर में वर्ष ..... से रहता हूँ।
4. व्यवसाय .....
5. कार्य स्थल कार्यालय का पता .....
6. ★ मेरा वर्तमान राशन कार्ड नंबर ..... सदस्य संख्या .....
   युनिट संख्या ..... उ.मू.दु.क्र. .....
7. ★ ★ मेरे पास ग्राम ..... तहसील .....
   जिला ..... का राशन कार्ड क्र. .....
   जो मैं घोषणा–पत्र के साथ कर रहा हूँ।
8. ★ ★ ★ मुझे पूर्व में कभी राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ।
9. मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण आज की स्थिति के अनुसार है :–

क्र.	सदस्य का नाम	आयु	मुखिया से रिश्ता	वोटर लिस्ट नं. सदस्य के लिए
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

1. ★ केवल उनके द्वारा भरा जायेगा जो राशन कार्डधारी है।
2. ★ ★ केवल उनके द्वारा भरा जायेगा जो अन्य स्थान का राशन कार्ड जमा करा रहे हैं।
3. ★ ★ ★ केवल उनके द्वारा भरा जायेगा जिसके पास राशन कार्ड नहीं है।
4. नगर निगम द्वारा ही 5/– रूपये का रसीद कटेगा।

मैं यह घोषणा करता हूं कि कंडिका में मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों का जो विवरण दिया गया है उसमें से किसी भी सदस्य के नाम न तो पृथक से राशन कार्ड है, और न ही उसमें से किसी का नाम मध्यप्रदेश में किसी जिले का राशन कार्ड में दर्ज है। मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूं कि इस घोषणा-पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णत: सत्य है तथा मैंने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। मुझे ज्ञात है कि यदि स्थल निरीक्षण या अन्य जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई तो मैं भारतीय दण्ड का भागी रहूंगा। जिसके तहत सात वर्ष तक का कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा दी जा सकती है।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर (मुखिया)

नाम .....

11. मैं ..... (गवाह का नाम) आत्मज .....

मकान नं. ..... गली नं. ..... मोहल्ला .....

वार्ड नं. ..... आवेदक श्री .....

कंडिका क्रमांक 9 में दी गई समस्त जानकारी की पुष्टि करता हूं। मुझे ज्ञात है कि झूठी पुष्टि करने के फलस्वरूप मुझे कानूनन दण्ड दिया जा सकता है।

गवाह राशन कार्ड नं. .....

दुकान न. .....

हस्ताक्षर गवाह .....

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए (स्थल निरीक्षण रिपोर्ट)

श्री .....(मुखिया का नाम) के घर पर दिनांक ..... की जांच तथा मौके पर निवास प्रमाणित होता है / नहीं होता है। उनका वोटर लिस्ट क्र. ..... पर अंकित है / लिस्ट में नाम उपलब्ध नहीं है।

हस्ताक्षर जांच कर्ता
नाम जांच कर्ता

हस्ताक्षर जांच करता
नाम जांच कर्ता

पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट

स्थल निरीक्षण में आवेदक परिवार मौके पर निवास प्रमाणित हुआ है / नहीं हुआ है। अत: परिवार के राशन कार्ड क्रमांक ..... जारी किया जाये / राशन कार्ड जारी नहीं किया जाये।

पर्यवेक्षक क्र. 1 .....

पर्यवेक्षक क्र. 2 .....

आवेदक नोट करें :- आवेदक के साथ परिवार के मुखिया के दो पासपोर्ट फोटो राशन कार्ड शुल्क 5/- रू. की रसीद तथा पुराना कार्ड (जिसके पास है) जमा करना अनिवार्य है।